ओमप्रकाश के स्थान हरि ओम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रार्थी 1 के आधार कार्ड नम्बर 8550 4849 5426 में प्रार्थी का नाम हरि ओम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार ओमप्रकाश के स्थान पर हरि ओम किया जाना उचित है।

अत: उपरोक्त विवेचन अनुसार यह साईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकॉर्ड दुरस्ती से सुलझता रहेगी। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई दुरुस्तगी का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण इजरा की धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा सांडिला के खाता संख्या 155, 28 व अहीरपुरा के खाता संख्या 54 में दर्ज ओमप्रकाश के स्थान पर हरि ओम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेश: : –

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा सांडिला के खाता संख्या 155, 28 व मौजा अहीरपुरा के खाता संख्या 54, **में दर्ज नाम ओमप्रकाश के स्थान पर हरि ओम दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि नामिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner